


क्रमांक 5132 / आर-2777 / 2017 / 2 / 34

भोपाल, दिनांक 27 OCT 2017

परिपत्र

राज्य शासन एतद् द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर 2009 एवं 25 जनवरी 2016 के पालनार्थ निम्नांकित निर्देशों का पालन किया जावे :-

1. किसी भी थर्मलपॉवर प्लांट से 300 कि.मी. के दायरे में होने वाले प्लेट फार्म निर्माण, पंपहाउस निर्माण, फ्लोरिंग एवं अन्य ऐसे निर्माण/संरचनाएँ जिनमें जल का सतत सदैव संपर्क न हो में मात्र और मात्र फलाई ऐश आधारित सामग्री का उपयोग किया जावे।
2. ऐसे निर्माण जिनमें संरचना सतत पानी के संपर्क में रहती है जैसे- जल शोधन संयंत्र, टंकी, इंटेकवैल आदि पूर्ववत् प्रक्रिया अनुसार निर्मित किए जावें।



(एन.के.वैद्य)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग


dc

पृ.क्रमांक 5133 / आर-2777 / 2017 / 2 / 34

भोपाल, दिनांक 27 OCT 2017

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 2- प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3- मुख्य महाप्रबन्धक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन, भोपाल।
- 4- समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
- 5- समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
- 6- समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश।
- 7- प्रोक्योरमेंट सेल, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 8- कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर परिपत्र मेल से समस्त संबंधितों को प्रेषित किये जाने एवं विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

dc